मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

क्रमांक/647/738/2020-21/26-2 भोपाल, दिनांक 04.03.2021

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना एवं कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु एक वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त समयावधि इस वजह से दी गई है जिससे की समय रहते ऐसे प्रकरणों का निराकरण समयसीमा में किया जाकर हितग्राही को योजना का लाभ शीघ्र अतिशीघ्र प्रदाय किया जा सकें। लेकिन इस समयावधि का अर्थ यह नहीं है कि पात्र हितग्राही को पात्रता के निर्धारित मापदण्ड में आने के बाद भी मात्र समयावधि के उल्लंघन की वजह से योजना के लाभ से वंचित रखा जायें।

अत: ऐसे जो भी प्रकरण जिसमें निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी आवेदन प्राप्त होता है, उन सभी प्रकरणों में यदि देरी का कारण युक्तिसंगत है तो ऐसे प्रकरण में पात्रतानुसार हितग्राही को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया जायें। सिर्फ इस वजह से कि हितग्राही ने समय पर अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है उसको इस आधार पर अपात्र मान कर योजना के लाभ से वंचित न रखा जायें।

ऐसे पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नियमानुसार प्रदाय करने की कार्यवाही संबंधित जिले के संयुक्त/उप संचालक प्रकरणों में कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त कर सुनिश्चित करेंगे। ऐसे प्रकरणों में आयुक्त / संचालक अथवा शासन की पृथक से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। योजना के शेष प्रावधान पूर्व की भाति यथावत रहेंगे।

04/03/2021

(प्रतीक हजेला)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक/648/738/2020-21/26-2 भोपाल, दिनांक :- 04.03.2021

प्रतिलिपि,

1. अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
3. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
4. संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय भोपाल।

5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
7. समस्त संयुक्त / उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

04/03/2014

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण विभाग